संख्या - 005/वी.जी.एल/11
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
समन्वय-I

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 12.05.2005

<u>कार्यालय आदेश सं0 31/05/05</u>

विषय: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति देने में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देश ।

आयोग को यह चिन्ता है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत तथा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति देने में गंभीर विलंब हो रहा है । इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा साधारणत: 3 माह की है । **आयोग यह महसूस करता है कि यह विलंब अशंत: समीक्षा के अभाव के कारण हो सकता है, जिसकी अपेक्षा ऐसे अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय सक्षम प्राधिकारी से की जाती है ।**

सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे बहुत से निर्णय हैं जिनमें इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित किए गए हैं:-

1. जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1996 सीआर.एल.जे. 2962
2. बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1260
3. पुलिस अधीक्षक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) बनाम दीपक चौधरी, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 186
4. विनीत नारायण बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 889

2. **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित अनुसार स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश, नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं:-**

i) स्वीकृति प्रदान करना एक प्रशासनिक कार्य है तथा इसका उद्देश्य लोक सेवक को तुच्छ तथा कष्टकर अभियोजन उत्पीड़न से सुरक्षा देना है तथा भ्रष्ट को बचाना नहीं है । उस चरण में लोक सेवक को अवसर प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता तथा स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को केवल यह देखना होता है क्या तथ्यों से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होता है ।

ii) सक्षम प्राधिकारी, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के समक्ष दोषी व्यक्ति द्वारा फाईल किए गए अभ्यावेदन के आधार पर जांच अधिकारी को अपनी टिप्पणियां देने के लिए कहकर अथवा आरोपी व्यक्ति द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए मामले में आगे जांच के लिए कहकर अथवा अन्यथा उसके विभाग का रिकार्ड/रिपोर्ट मंगवा कर समानांतर अन्वेषण/जांच करवाने को कहकर आरोपों की सच्चाई पता लगाने के लिए जांच प्रारंभ नहीं कर सकता ।

iii) जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभिकथित किए गए अपराध का एस.पी.ई. द्वारा अन्वेषण किया गया हो तब डीआईजी, आईजी द्वारा तथा उसके बाद डीजी (सीबीआई) द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट की हमेशा संवीक्षा की जाती है । इसके बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में संबंधित विधि अधिकारियों द्वारा मामले की आगे संवीक्षा की जाती है ।

iv) जब ऐसी विशेषज्ञ एजेन्सी द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया हो तथा एजेन्सी के जांच अधिकारी की रिपोर्ट की उच्च स्तर पर कई बार संवीक्षा की गई हो, तब मुश्किल से कोई

ऐसा मामला होगा जहां सरकार को स्वीकृति के अनुरोध से असहमत होने में कठिनाई होगी ।

v) जब मामला अन्वेषण के लिए लंबित होता है तब दोषी व्यक्ति अभ्यावेदन फाईल करने के लिए स्वतंत्र होता है । जब किए गए अभ्यावेदन पर पहले ही विचार कर लिया गया हो तथा जांच अधिकारी की टिप्पणियां पहले ही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हों, तब आगे किसी अभ्यावेदन पर जांच अधिकारी की टिप्पणियों की आगे आवश्यकता नहीं हो सकती ।

vi) अन्वेषण की समाप्ति के बाद परवर्ती अभ्यावेदन नियम नहीं होता है, क्योंकि नियम सही तरीके से प्रमाणित होता है कि जिस सामग्री पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना होता है यह वह सामग्री है जो अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था ।

vii) तथापि, यदि किसी मामले में, सक्षम प्राधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद, किसी बिन्दू पर कोई संदेह करता है तो सक्षम प्राधिकारी पर्याप्त ब्यौरे के साथ संदेह को स्पष्ट कर सकते हैं तथा उस प्राधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं जिन्होंने संदेह को दूर करने के लिए स्वीकृति मांगी है । किन्तु यह केवल संदेह दूर करने के क्रम में होगा जो प्राधिकारी अपने विवेक का उचित प्रयोग करके करेंगे तथा दोषी के अभ्यावेदनों पर विचार करने के उद्देश्य के लिए नहीं होगा जो मामले की स्वीकृति के लिए लंबित होने के समय फाईल किया जाए ।

viii) यदि स्वीकृतिदाता प्राधिकारी, अपने समक्ष स्वीकृति के लिए लंबित मामले में जांच अधिकारी की टिप्पणियाँ चाहते हैं तब स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के लिए यह लगभग असंभव होगा कि विनीत नारायण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत समय सीमा का पालन कर सकें ।

आयोग ने निदेश दिया है कि ये दिशानिर्देश जैसा कि पैरा 2(i)-(vii) में दिए गए हैं सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनके मार्गदर्शन तथा सख्ती से अनुपालन किए जाने के लिए नोट किए जाने चाहिए ।

ह0/-
(सुजीत बनर्जी)
सचिव

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थानों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी
स्वायत्तशासी संगठन
सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी